पत्रॉक ——— / आयु0क0उत्तरा0 / धारा–57–अनुभाग / वाणि0कर / 2012–13 / देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक 25जून ,2013

प्रार्थना पत्र संख्या –14599 / 21–01–2013
सर्वश्रीलिपि डाटा सिस्टम लि0,
पता–58 / 1 ग्राउण्ड फ्लोर, पंचशील शापिंग कॉम्पलैक्स,
कोलागढ़ रोड,देहरादून।

उपस्थिति – श्री नवीन नागलिया, अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक – जून ,2013

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्व श्री लिपि डाटा सिस्टम द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर के मैन्टीनैन्स का ठेका लिया जाता है। उनके द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किये जाने की प्रार्थना की गई है कि उनका कर का दायित्व क्या होगा। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा जारी किए जाने वाले बिल व एक एग्रीमेन्ट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गई है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या मॉगी गई। उनके द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि " व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कम्पयूटर हार्डवेयर के मैन्टीनैन्स के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट की फोटो प्रति दी गई है, किन्तु अनुलग्नक संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कम्पयूटर हार्डवेयर के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट केवल मैन्टीनैन्स तक ही सीमित है। एग्रीमेन्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान खराब पार्ट्स का रिप्लेसमेन्ट कौन करेगा अर्थात खराब पार्ट्स रिप्लेसमेन्ट अनुबन्ध में शामिल है अथवा नहीं । यदि अनुबन्ध के अधीन खराब पार्ट्स का रिप्लेसमेन्ट कम्पनी द्वारा किया जाता है तो उसके मूल्य तक कर का दायित्व कम्पनी का होगा तथा लेबर अंश पर कोई कर दायित्व आकर्षित नहीं होता है। कार्य संविदा में कितना वस्तु का हस्तान्तरण हुआ है और कितना लेबर पार्ट्स निहित है, यह निर्णय कर अधिकारी द्वारा करनिर्धारण के समय लिया जाता है। "

प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री नवीन नागलिया, अधिवक्ता फर्म द्वारा उपस्थित होकर तथ्य प्रस्तुत किए गए। उनके द्वारा सुनवाई के समय यह कहा गया है कि अनेक राज्यों द्वारा अपने नियमों में यह प्राविधान किया गया है कि यदि इस प्रकार का कोई मैन्टीनैन्स कॉन्ट्रेक्ट लिया जाता तो उसमें कितने प्रतिशत लेबर का भाग माना जायेगा एवं कितने प्रतिशत माल का हस्तान्तरण माना जायेगा। चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में इसप्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं हुई है, इस कारण से उनके द्वारा कर का दायित्व निर्धारित करने में कठिनाई आ रही है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार किया गया। साथ ही वैट नियम व अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा इस प्रकार के कॉन्ट्रेक्ट के सम्बन्ध में

2538 पत्रांक संख्या धारा 57
आवश्यक कार्यवाही करें
26/6/13
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर [illegible] देहरादून

अलग–अलग हिसाब किताब नहीं रखे जाते है, किन्तु यह स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा किया जाने वाला कार्य कार्य–संविदा के अन्तर्गत आता है, एवं इस कार्य को करने में उनके द्वारा जितनी वस्तु का हस्तान्तरण किया गया है, उस पर व्यापारी का करदायित्व होगा। चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में वैट नियम के अन्तर्गत इसप्रकार के कार्य हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में व्यापारी द्वारा कॉन्ट्रेक्ट के दौरान जितने माल का हस्तान्तरण किया जायेगा उसे दृष्टिगत रखते हुए वैट अधिनियम की अनूसूची के अनुरूप कर की दर के अनुसार कर दायित्व होगा।

उपरोक्तानुसार धारा–57 के अन्तर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। विनिश्चय/आदेश की एक प्रति आवेदक व्यापारी एवं एक प्रति सम्बन्धित करनिर्धारक अधिकारी को भेजी जाए।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 1421 /दिनांक : उक्त :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमॉऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित किवे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनुश0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
8– डिप्टी0कमि0 वाणिज्य कर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित किवे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
13– लॉ प्रब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
14– कायालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।